



2026:AHC:17237

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी संख्या - 44515 वर्ष 2025

सावित्री देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

अपर आयुक्त न्यायिक प्रयागराज मंडल एवं 11 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता : मीना मिश्रा, विनीत मिश्रा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : आज्ञाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 02

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1.याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2.प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने तथा याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादीगण इस आदेश से स्वयं को आहत महसूस करते हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3.वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या-1, अतिरिक्त आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वह अपील संख्या 1452/2022 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी202202000001452) का यथाशीघ्र निस्तारण करें।

4.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अब तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

4.प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित प्राधिकारी उपर्युक्त प्रकरण का विधि के अनुसार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर, बिना अनावश्यक स्थगन प्रदान किए, निर्णय करें, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

जनवरी 22, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not for legal use.